

डॉ. बी. आर. अंबेडकर और भारत में महिला सशक्तिकरण

संदीप कुमार सुपुत्र सत्यवीर सिंह

गाँव एवं डाकघर- मदीना

जिला रोहतक (हरियाणा)

Email: sandeepkumarmadina@gmail.com

शोध-आलेख सार: डॉ. अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने लिबर्टी, समानता और बंधुता के पथ पर महत्वपूर्ण प्रयास किए। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ठोस और ईमानदार से प्रयास किये। उन्होंने भारतीय और भारतीय समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए सामान सिविल कोड की नींव रखी। वर्तमान परिदृश्य में स्वतंत्र और पूर्व भारत के पूर्व और बाद में महिलाओं की समस्याओं पर डॉ. अम्बेडकर के विचार को उजागर करने का प्रयास किया है। डॉ. 0 अम्बेडकर ने 1920 में अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ भयंकर प्रचार शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए 1920 में एक पत्रिका मूक नायक और 1927 में बहिसक्ति भारत का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उन्होंने लिंग समानता और शिक्षा की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर जोर दिया और साथ ही महिलाओं को साहसपूर्वक बोलने के लिए और सशक्त बनाने के लिए प्रयास किये। अम्बेडकर को भी प्रोत्साहन मिला जब राधाबाई वाडले ने 1931 में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने परिवार नियोजन के लिए दृढ़ता से वकालत की बॉम्बे विधान सभा में महिलाओं के लिए उपाय भी किये। डॉ. बाबासाहेब ने महिलाओं की भलाई के लिए अपना जीवन बिताया जैसे पेशेवर वेश्याओं की भलाई के लिए कार्य किये। अम्बेडकर ने गरीबों, अनपढ़ महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा की और उन्हें प्रेरित किया बाल विवाह और देवदासी प्रणाली जैसे अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ें। डॉ. अम्बेडकर ने एक कोशिश की राजनैतिकशब्दावली और भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों का पर्याप्त समावेश। उन्होंने विधानसभा में बुनियादी सुधारों और संशोधनों का सुझाव देते हुए हिंदू कोड बिल पर जोर दिया। उन्होंने संसद में बिल पारित

करने में मदद करने के लिए संसदीय सदस्यों पर भी जोर दिया आखिरकार, उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया इस प्रकार उनकी महिलाओं के समस्त विकास के लिए गहरी चिंता और भावनाएं उनके प्रत्येक वाक्य और शब्द से व्यक्त की गई हैं।

मूलशब्द: महिला सशक्तीकरण, हिंदू कोड बिल, पूर्ण समानता, समानता, बाल विवाह, देवदासी ।

भूमिका: डॉ बी आर अंबेडकर 20 वीं सदी में भारत के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से एक थे । एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थशास्त्री पॉल बरान ने एक के बीच अपने एक निबंध में एक अंतर बनाया था "बुद्धि कर्मचारी" और एक बौद्धिक पूर्व, उनके अनुसार, जो एक को बनाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है जबकि उत्तरार्द्ध एक है जो इसे गंभीर विश्लेषण और सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग करता है। बरान की बौद्धिक की परिभाषा में डॉ अंबेडकर फिट बैठते हैं । डॉ अंबेडकर भी एंटोनियो ग्रामसी के अनुसार एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं ,उन्होंने उसे एक जैविक बौद्धिक कहा, अर्थात्, जो एक संपूर्ण सामाजिक के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्त करता है ।

डॉ अंबेडकर ने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्चतम शैक्षिक सम्मान

प्राप्त किया हैं । उन्होंने लिबर्टी, समानता और बंधुता पथ पर समाज का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए । यह हाल ही में "हिस्ट्री टीवी 18 और सीएनएन द्वारा आईबीएन "जून 2012 में किए गए सर्वेक्षण द्वारा सिद्ध किया गया है ।" महात्मा गांधी के बाद इंडिया के सबसे महान भारतीय कौन हैं? "लोगों से सवाल पूछा गया है । प्रतियोगियों में शामिल थे, पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू, सिंगर लता मंगेशकर, उद्योगपति जे आर डी टीटा, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी और वल्लभभाई पटेल आदि। तीन तरीके मतदान के बाद; जूरी (ऑनलाइन और मैदान पर) रैंकिंग, लोकप्रिय वोटों और रैंकिंग द्वारा रैंकिंग बाजार अनुसंधान अंतिम संचयी रैंकिंग आयोजित की गई । अंत में, डॉ बी.आर.अम्बेडकर ने विजेता घोषित किया। प्रो। ए.के. सेन ने भी कहा है, "अंबेडकर

अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। उन्होंने जो हासिल किया है वो उससे अधिक के हक़दार है।

अर्थशास्त्र क्षेत्र में उनका योगदान अद्भुत है और हमेशा के लिए याद किया जाएगा ...! अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान का पिता था; वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, विचारक, अर्थशास्त्री, संपादक, सामाजिक सुधारक, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार और पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत में महिलाओं की उन्नति के रास्ते में बाधाओं को तोड़ने के लिए ठोस नींव रखे और हिंदुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए आम नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करके ईमानदारी से प्रयास किया। वह ने कहा कि महिलाओं को समस्त दौर के विकास को और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी भलाई और सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार दिए जाये उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय महिलाओं के प्रत्येक अनुभाग को उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी और महिलाओं की गरिमा

और विनम्रता (शुक्ला 2011) बनाए रखने की आवश्यकता है।

डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर हमेशा महिलाओं की अगुवाई वाली आंदोलनों में विश्वास करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि महिलाएं जीवन के सभी पहलुओं को विश्वास में लिया जाता है, वे सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सामाजिक शोषण को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जोर दिया कि एक मित्र के रूप में हर विवाहित महिला को चाहिए अपने पति की गतिविधियों में भाग लेना लेकिन उसे गुलामों के जीवन से इनकार करने का साहस दिखाना चाहिए। वह समानता के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए यदि सभी महिलाएं इसका पालन करती हैं, तो उन्हें वास्तविक सम्मान मिलेगा और अपने स्वयं की पहचान। (गुंज 2012)

उद्देश्यों, विधियों और सामग्रियों: वर्तमान पत्र, डॉ। अम्बेडकर के पूर्व और बाद में महिलाओं की समस्याओं और स्वतंत्र भारत और भारत के वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में

उनके विचारों की प्रासंगिकता पर नजर डालने का प्रयास है। इंटरनेट से प्राप्त माध्यमिक डेटा, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र, प्रकाशित पत्र, किताबें और संसद में डा अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण, पूर्व और बाद में विभिन्न सम्मेलन और बैठकों में से लिया गया है।

विश्लेषण और चर्चा: डॉ अम्बेडकर ने 1920 में अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही बेहतर दिन देखेंगे और अगर पुरुष शिक्षा के साथ-साथ महिला शिक्षा भी मिलती है तो हमारी प्रगति बहुत तेज़ हो जाएगा। उसने हिंदू सोशल ऑर्डर के खिलाफ भयंकर प्रचार शुरू किया और इस उद्देश्य के लिए 1920 में एक पत्रिका मूक नायक और 1927 में बहिसकित भारत का शुभारंभ किया। अपने मुद्दों के माध्यम से उन्होंने लैंगिक समानता पर जोर दिया और साथ ही महिलाओं की समस्याओं का पर्दाफाश किया। इसके अध्यक्ष रमाबाई, अम्बेडकर की पत्नी के साथ जनवरी 1928 में, बॉम्बे में एक महिला एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।

1930 में नासिक में कलम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में पांच सौ महिलाओं ने भाग लिया और उनमें से कई को पुरुषों के साथ गिरफ्तार किया गया और जेलों में बुरा बर्ताव किया गया। डा अम्बेडकर महिलाओं को निर्भीक रूप से बोलने के लिए सशक्त बनाया गया जब राधाबाई वाडले ने 1931 में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया कहा "अपमान से भरा जीवन जीने से सौ गुना मरना बेहतर है। हम अपने जीवन का बलिदान करेंगे, हमारे अधिकारों को जीत लेते हैं।" इस आत्म-सम्मान और महिलाओं के दृढ़ संकल्प का श्रेय अम्बेडकर को जाता है।

डॉ अम्बेडकर ने महिलाओं की ताकत और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर विश्वास किया। ऐतिहासिक "महाड सत्याग्रह" ने अपने पुरुष समकक्षों के साथ तीन सौ महिलाओं की भागीदारी देखी। करीब 3000 महिलाओं की एक और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं समुदाय की प्रगति को मापता हूँ प्रगति की डिग्री जो महिलाओं ने हासिल की थी। अपने पति के साथ विवाह करने

वाली हर लड़की का दावा करें अपने पति के मित्र और बराबर हो, और उसका दास बनने से इंकार कर दें। बॉम्बे विधान सभा में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों के लिए उन्होंने दृढ़ता से वकालत की।

1942 में, गवर्नर जनरल के कार्यकारी विधेयक परिषद के श्रम मंत्री होने के नाते, उन्होंने एक मातृत्व लाभ की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान प्रदान किए। वह संसद में हिंदू कोड बिल विधेयक पेश किया और महिलाओं की संपत्ति के बारे में मुद्दों पर प्रकाश डाला। डॉ अम्बेडकर ने कई राजनीतिक नेताओं से मजबूत विरोध प्राप्त किया बदले में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

अम्बेडकर का जोर हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर था। अम्बेडकर से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, कई महिलाओं ने लिखना शुरू किया। और तुलसीबाई बनसोड ने एक अखबार "चोखामेला" शुरू किया और ये सब यह दर्शाता है कि अम्बेडकर ने गरीब, अशिक्षित महिलाओं के बीच

जागरूकता कैसे पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी प्रणाली जैसे अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा, "महिलाओं द्वारा संचालित आंदोलनों में मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर वे अपने आप पर विश्वास करें तो, वे समाज की वर्तमान तस्वीर को बदल सकते हैं जो बहुत दयनीय है। अतीत में, उन्होंने कमजोर वर्ग और कक्षाओं की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमेशा महिलाओं को कहते थे कि कभी ऐसे कपड़े मत पहनो जैसे उनका चरित्र निचे गिरे डॉ अंबेडकर ने राजनीतिक शब्दावली और भारत की संविधान में महिलाओं के अधिकारों के लिए पर्याप्त रूप से शामिल किए जाने की कोशिश की। अर्थात्,

अनुच्छेद 14 - राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर। अनुच्छेद 15 सेक्स के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को सक्षम बनाता है

अनुच्छेद 39 - समान कार्य के लिए आजीविका

के समान साधन और समान वेतन

अनुच्छेद 42 - काम और मातृत्व राहत की मानव स्थितियों

अनुच्छेद 51 (ए) (सी) - प्रथाओं को त्यागने के लिए मौलिक कर्तव्यों, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक।

अनुच्छेद 46 - विशेष देखभाल, कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों के साथ राज्य को बढ़ावा देना

लोगों को और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए।

अनुच्छेद 47 - राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर के पोषण और स्तर का स्तर बढ़ाने और सुधार के लिए

सार्वजनिक स्वास्थ्य और इतने पर।

अनुच्छेद 243 डी (3), 243 टी (3) और 243 आर (4) पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन के लिए प्रदान करता है।

27 सितंबर, 1951 को प्रधान मंत्री को इस्तीफे के अपने पत्र में उन्होंने लिखा था "लम्बे समय से मैं

मंत्रिमंडल से अपनी सीट का इस्तीफा देने की सोच रहा हूं। केवल एक चीज है जो मुझे वापस खींच रहे थी वो बस थोड़े सी आशा थी की हिन्दू कोड बिल पारित हो जाये | उन्होंने कहा की मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्य बनने के लिए कोई भी उद्देश्य नहीं देख रहा हूं "

हिंदू कोड विधेयक को बाद में चार विधेयकों में विभाजित किया गया था, और इसी को संसद में प्रतिमा पुस्तक पर रखा गया था । हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और द हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 चार कानून हैं जो डॉ अंबेडकर द्वारा तैयार की गई हिंदू कोड विधेयक के विचारों और सिद्धांतों को शामिल किया गया । इसलिए, यह कहना सच है कि यह डॉ अंबेडकर के कारण है कि हिंदू सामाजिक कानून का एक बड़ा हिस्सा है अब उन्नत पश्चिमी देशों (अहिर डी.सी. 1990) में प्रचलित कानूनी व्यवस्था के बराबर है।

निष्कर्ष: शोक संदेश में, संसद में अंबेडकर की मौत पर, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा "डॉ बाबासाहेब अंबेडकर हिंदू समाज के सभी दमनकारी सुविधाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे। " उसका सपना लैंगिक समानता के आधार पर समाज कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है। डॉ बाबासाहेब ने सभी महिलाओं के जीवन की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। संसद में उन्होंने बुनियादी सुधारों और सुझावों के हिंदू संहिता विधेयक पर जोर दिया विधानसभा में संशोधन उन्होंने सभी संसदीय सदस्यों को भी इसमें जोर देकर पेश करने में मदद की। आखिरकार, उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया। डॉ अंबेडकर की शिक्षाएं और विचार केवल महिलाओं के लिए उपयोगी नहीं हैं पर लेकिन सभी भारतीयों के लिए उपयोगी है। उनके प्रत्येक वाक्य और शब्द से महिलाओं को व्यक्त किया गया है। भारतीय संसद में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने अपनी भावनाओं को महिलाओं के प्रति दिखाया।

उन्होंने आयरिश पैट्रियट डैनियल ओ के प्रसिद्ध विचारों का हवाला देते हुए कहा, "कोई भी आदमी अपने सम्मान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता, कोई भी महिला उसकी शुद्धता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकती। और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता है। " अपनी प्रसिद्ध किताब "पाकिस्तान और भारत विभाजन" में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उनकी धार्मिक परंपराओं, घूंघट पहनने, उनके विवाह पर भी जोर दिया। बाबासाहेब एक विशेष मानवतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्होंने अक्सर महिलाओं खिलाफ सभी प्रकार के अन्यायों पर आवाज उठाई।

संदर्भ:

- [1] अहीर, डी.सी। (1990) "द लिगेसी ऑफ डा अम्बेडकर" बीआर प्रकाशन प्रकाशन निगम, नई दिल्ली
- [2] अम्बेडकर, बी.आर. (1987) "महिला और काउंटर क्रांति" पहेलियों की हिंदू महिला "में डॉ

बाबा साहेब अम्बेडकर: लेखन और भाषण, खंड

3, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार

[3] आर्य, सुधा, (2000) महिला लैंगिक समानता

और राज्य, दीप और दीप प्रकाशन, नई दिल्ली।

[4] डी केर, (1987). डा अम्बेडकर: लाइफ एंड

मिशन, बॉम्बे।

[5] गुंजल वी.आर. (2012) डॉ बाबासाहेब

अंबेडकर और महिला सशक्तीकरण, सामाजिक

कार्य, खंड इलेवन (1), पीपी 84-85

[6] सिंगरिया एमआर, (2013) "डॉ बी आर

अंबेडकर: एक अर्थशास्त्री "मानविकी और

सामाजिक विज्ञान आविष्कार की अंतर्राष्ट्रीय

जर्नल, वॉल्यूम 2, अंक (3), पीपी 24-27

ऑनलाइन उपलब्ध www.ijhssi.org वॉल्यूम 2

अंक 3 ॥ मार्च 2013 ॥ पीपी.24-27